न्यायालयः– न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम–1, सीकर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : प्रशान्त पूनिया, आर.जे.एस.

मूल दाण्डिक प्रकरण संख्या– 127/10 बी टी 217/2016
(CIS No.02/2014)

प्रथम सूचना प्रतिवेदन संख्या–1/09–10 पुलिस थाना आबकारी निरीक्षक वृत, सीकर।

राजस्थान राज्य।

ब ना म

1 महेन्द्र पुत्र हरफुल सिंह जाति जाट निवासी ढाणी तन पलासियां थाना रघुनाथगढ जिला सीकर

2 अविनाश पुत्र बोदूराम जाति जाट निवासी ढाणी तन पलासियां थाना रघुनाथगढ जिला सीकर

......अभियुक्तगण

अपराध अन्तर्गत धारा–16/54, 58 ए (ई) राजस्थान आबकारी अधिनियम

उपस्थिति :–

1. सहायक अभियोजन अधिकारी, राज्य की ओर से।
2. श्री केशरदेव विद्वान अधिवक्ता, अभियुक्त अविनाश की ओर से।
3. श्री भगत सिंह विद्वान अधिवक्ता, अभियुक्त महेन्द्र की ओर से ।

....

–:: निर्णय ::– **दिनांक :20.05.2019**

इस आपराधिक प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि दिनांक 18.04.2009 को आबकारी जाब्ता मुखबीर की सूचना के आधार पर पलासियां थाना रघुनागढ में स्थित ढाणी में रिहायशी मकान बकब्जा महेन्द्र व अविनाश पर पहुंच कर अन्दर झांका तो तीन व्यक्ति शराब के पव्वे भरते व सील लगाते नजर आये। इनको पकडने की कोशिश करने पर भागने लगे तो महेन्द्र को पकड लिया व खेतों की तरफ भागने में सफल होने वाली व्यक्ति को अविनाश के रूप में पहचाना गया। मकान की तलाश लेने पर मकान से अवैध नकली शराब बनाने के असलात बरामद हुये। एक पव्वा सिलिंग मशीन, 2 कार्टुनों में 48–48 कुल 96 पव्वे ढोला मारू एवं घुमर सादा देशी शराब, 15 पव्वे बिना लेबल लगे, हयूज, 14000 लेबल ढोला मारू सादा देशी शराब, 5400 लेबल घूमर देशी ब्राण्ड, 2900 पी पी सील(पव्वों के ढक्कन), 250 गत्ते के खाली कार्टुन, एक प्लास्टिक कट्टे में भरे करीब 1600 खाली कांच के पव्वे व 2000 खाली प्लास्टिक के पव्वे, एक प्लास्टिक थेली में करीब 20 लीटर स्प्रीट, गोंद की खाली बोतलें, कार्टुन टेप वगेरह बरामद किये गये। बरामद सामग्री में से 96 पव्वों मे से कुल 40 पव्वे, हयूज 15 पव्वो मे से 5 पव्वे, 1400 लेबल ढोला मारू देशी शराब में 5 लेबल, 5400 लेबल घूमर सादा देशी शराब में से 5 लेबल बतौर सेम्पल लेकर शेष को पृथक से सील मोहर किया।

2900 पी पी सील (पव्वों के ढक्कनों) मे से 10 ढक्कर वास्ते नमुना लिया। स्प्रीट को जरीकन में डालकर एक प्लास्टिक साफ बोतल में नमुना लिया व 1600 खाली पव्वे कांच व 2000 खाली पव्वे प्लास्टिक को सील मोहर किया। सीलिंग मशीन पर चिट चस्पा की गई। नमूना सैम्पलों को सील चिट किया गया। जब्तशुदा सामग्री को कब्जे राज लिया व अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया आदि आदि।

उक्त रिपोर्ट के आधार पर एफ.आई.आर. नंबर–1/09–10 अंतर्गत धारा–16/54, राजस्थान आबकारी अधिनियम में दर्ज कर अभियुक्तगण महेन्द्र व अविनाश के विरूद्ध धारा–16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के अपराध के लिये न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया।

आरोप पत्र न्यायालय में पेश करने पर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा–16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किये जाने के आदेश दिये गये।

आरोप के बिन्दु पर उभय पक्षों की बहस सुनी जाकर अभियुक्तगण महेन्द्र व अविनाश को धारा–16/54, 58 ए (ई) राजस्थान आबकारी अधिनियम के अपराध का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया, जिसे सुन समझकर अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार कर अन्वीक्षा की मांग की।

दौराने अन्वीक्षा अभियोजन की ओर से गवाहान पी.डब्ल्यू. 1 रतनसिंह, पी.डब्ल्यू. 2 महेश, पी.डब्ल्यू. 3 लक्ष्मीनारायण, पी डब्लु 4 गजेन्द्र, पी डब्लु 5 अमरजीत सिंह के बयान लेखबद्ध करवाये जाकर साक्ष्य अभियोजन समाप्त की गई। दस्तावेजी साक्ष्य में दस्तावेजात फर्द जब्ती प्रदर्श पी–1 लगायत पी 17 को पेश कर प्रदर्शित करवाया गया।

अभियुक्तगण के बयान मुलजिम अन्तर्गत धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता लिये जा चुके है, जिसमें अभियुक्तगण ने अपने विरूद्ध आये साक्ष्य को गलत होना बताया एवं साक्ष्य सफाई पेश करने से इन्कार किया।

बहस अंतिम उभय पक्ष सुनी गई एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। दौराने बहस विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने तर्क प्रस्तुत किया है कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध सन्देह से परे साबित है, अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध के लिए दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया।

इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने दौराने बहस तर्क प्रस्तुत किया कि अभियुक्त अविनाश को मौके से गिरफ्तार नहीं किया गया है, इस अभियुक्त की पहचान सम्बन्धी सारवान् तथ्य को अभियोजन पक्ष प्रमाणित करने में

असफल रहा है। मालखाना इंचार्ज को परीक्षित नहीं करवाया गया है। जाब्ते के अधिकारियों द्वारा धारा 47 राज0 आबकारी अधिनियम का पर्चा कायम नहीं किया गया है, कारणवश सम्पूर्ण जब्ती प्रक्रिया ही दूषित है। वजह माल सबुत खुली अवस्था में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुआ है जिससे वजह सबुत माल की शिनाख्तगी न्यायालय के समक्ष नहीं हो सकी है। प्रकरण के स्वतंत्र गवाह पी डब्लु 1, 2 पक्षद्रोही रहे है। मुवमेन्ट रजिस्टर पेश नहीं किया गया है। बरामदगी व जब्ती स्थल के स्वामित्व बाबत किसी भी दस्तावेज को प्रदर्शित नहीं करवाया गया है। मौके पर ही कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में अभियोजन गवाह पी डब्लु 4,5 के मध्य सारवान् विरोधाभास है। प्रकरण का परिवादी एवं अनुसंधान अधिकारी एक ही व्यक्ति है। अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित नहीं होना कथन करते हुए अभियुक्तगण को आरोपित अपराध के लिए दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया। अपने पक्ष समर्थन में निम्न माननीय न्यायिक नजीरें पेश की 1998 आर सी सी पेज 65, 1986 क्रि0ला0रि0 (राज0) 185, 1994 क्रि0ला0रि0 (राज0) पेज 68, 1994 क्रि0ला0रि0 (राज0) पेज 709, 1992 आर सी सी पेज 224, 2017(3) सी जे (क्रि0) (राज0) पेज 1708

हमारे समक्ष मुख्य रूप से विचारणीय बिन्दु यह है कि :–

(1) आया दिनांक 18.04.09 को समय 03.15 ए एम पर पलासियां की ढाणी पर बने अभियुक्तगण अविनाश व महेन्द्र के रिहायशी मकान में अभियुक्तगण के चेतन्य कब्जे से एक पव्वा सिलिंग मशीन, 2 कार्टुनों में 48–48 कुल 96 पव्वे ढोला मारू एवं घुमर सादा देशी शराब, 15 पव्वे बिना लेबल लगे, हयूज, 14000 लेबल ढोला मारू सादा देशी शराब, 5400 लेबल घूमर देशी ब्राण्ड, 2900 पी पी सील(पव्वों के ढक्कन), 250 गत्ते के खाली कार्टुन, एक प्लास्टिक कट्टे में भरे करीब 1600 खाली कांच के पव्वे व 2000 खाली प्लास्टिक के पव्वे, एक प्लास्टिक थेली/जरीकन में करीब 20 लीटर स्प्रीट, गोंद की खाली बोतलें, कार्टुन टेप वगेरह बिना किसी वैध लाइसेंस या परमिट के बरामद किए गए?

(2) यदि हाँ तो उसें क्या दण्ड दिया जावे?

प्रथम विचारणीय बिन्दु :–

फर्द बरामदगी प्रदर्श पी 1 में अंकित है कि दिनांक 18.04.2009 को आबकारी जाब्ता मुखबीर की सूचना के आधार पर पलासियां थाना रघुनागढ में स्थित ढाणी में रिहायशी मकान बकब्जा महेन्द्र व अविनाश पर पहुंच कर अन्दर

झांका तो तीन व्यक्ति शराब के पव्वे भरते व सील लगाते नजर आये। इनको पकडने की कोशिश करने पर भागने लगे तो महेन्द्र को पकड लिया व खेतों की तरफ भागने में सफल होने वाली व्यक्ति को अविनाश के रूप में पहचाना गया। मकान की तलाश लेने पर मकान से अवैध नकली शराब बनाने के असलात बरामद हुये। एक पव्वा सिलिंग मशीन, 2 कार्टुनों में 48–48 कुल 96 पव्वे ढोला मारू एवं घ ुमर सादा देशी शराब, 15 पव्वे बिना लेबल लगे, हयूज, 14000 लेबल ढोला मारू सादा देशी शराब, 5400 लेबल घूमर देशी ब्राण्ड, 2900 पी पी सील(पव्वों के ढक्कन), 250 गत्ते के खाली कार्टुन, एक प्लास्टिक कट्टे में भरे करीब 1600 खाली कांच के पव्वे व 2000 खाली प्लास्टिक के पव्वे, एक प्लास्टिक थेली में करीब 20 लीटर स्प्रीट, गोंद की खाली बोतलें, कार्टुन टेप वगेरह बरामद किये गये। बरामद सामग्री में से 96 पव्वों मे से कुल 40 पव्वे, हयूज 15 पव्वो मे से 5 पव्वे, 1400 लेबल ढोला मारू देशी शराब में 5 लेबल, 5400 लेबल घूमर सादा देशी शराब में से 5 लेबल बतौर सेम्पल लेकर शेष को पृथक से सील मोहर किया। 2900 पी पी सील (पव्वों के ढक्कनों) मे से 10 ढक्कर वास्ते नमुना लिया। स्प्रीट को जरीकन में डालकर एक प्लास्टिक साफ बोतल में नमुना लिया व 1600 खाली पव्वे कांच व 2000 खाली पव्वे प्लास्टिक को सील मोहर किया। सीलिंग मशीन पर चिट चस्पा की गई। नमूना सैम्पलों को सील चिट किया गया। जब्तशुदा सामग्री को कब्जे राज लिया व अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया।

गवाह पी.ड.1 रतन सिंह ने साक्ष्य दी है कि दिनांक 18.04.09 कोआबकारी निरीक्षक सीकर ने उसे बतौर मौतबीर नहीं बुलाया व उसके सामने महेन्द्र व अविनाश की ढाणी की तलाशी नहीं ली व गवाह के सामने कोई शराब बरामद नहीं हुई। गवाह के सामने कोई आबकारी निरीक्षक ने कोई कार्यवाही नहीं की। गवाह पी डब्लु 2 महेश ने साक्ष्य दी है कि गवाह अभियुक्तगण महेन्द्र व अविनाश को नहीं जानता। गवाह के सामने आबकारी वालों ने इनके मकान की तलाशी नहीं ली ना ही नकली शराब बरामद की। गवाह के सामने आबकारी वालों ने कोई कार्यवाही नहीं की। उक्त दोनों गवाहान को पक्षद्रोही घोषित किया गया है।

गवाह पी.ड.3 लक्ष्मीनारायण ने साक्ष्य दी है कि दिनांक 12.04.2010 को वह थाना आबकारी वृत्त सीकर में आबकारी निरीक्षक के पद पर तैनात रहते हुए उस दिन पत्रावली उसे सुपुर्द होने पर उसने मुलजिम अविनाश को जरिये फर्द प्रदर्श पी–7 गिरफ्तार किया, माल वजह सबूत मालखाने में जमा करवाया, मालखाना रजिस्टर की प्रति प्रदर्श पी–8ए है, घटनास्थल का नक्शा मौका उसने ग्राम पंचायत पिपराली के सरपंच राधा से तस्दीक करवाया जो प्रदर्श पी–9 है,

FSL रिपोर्ट प्रदर्श पी–10 शामिल पत्रावली की एवं आगे गवाह ने सैम्पल जमा करवाने की प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी–11 होकर शामिल पत्रावली करना कथन किया है। इस गवाह ने जिरह में जाहिर किया कि प्रदर्श पी 9 में सी से डी हिस्सा सरपंच ने अपने सचिव से लिखाया होगा। यह सही है कि प्रदर्श पी 9 में दर्शाये गये मौके के सकूनत बाबत जमाबन्दी, गिरदावरी या नक्शा पटवारी से नहीं लिया। प्रदर्श पी 9 में दर्शित मकान पर किसका कब्जा है, गवाह को जानकारी नहीं है। गवाह ने तो सरपंच से तस्दीक करवाये थे। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 9 पर किसी स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं हैं।

गवाह पी.ड.4 गजेन्द्र ने साक्ष्य दी है कि दिनांक 18.04.2009 को आबकारी वृत्त सीकर में गार्ड के पद पर तैनात रहते हुए उस रोज सी आई अमरजीत सिंह द्वारा पलासिया ग्राम में मुलजिम महेन्द्र के मकान से सुबह 3–4 बजे 96 पव्वे देशी शराब ढोला मारू के 15 पव्वे खुले, 20 लीटर स्प्रिट प्लास्टिक के थैले में बरामद करना कथन किया है एवं आगे यह भी बताया है कि खाली पव्वे, खाली बारदाना, पव्वा पैकिंग सील आदि भी बरामद किए और बरामदगी के समय 3 आदमी थे, उनमें से एक आदमी पव्वा भर रहा था, एक पव्वे पर सील लगा रहा था एवं पैकिंग कर रहा था। आगे गवाह ने मौके पर महेन्द्र नाम के आदमी को पकड़ना एवं दो अन्य का भाग जाना बताया है जिनमें से गवाह ने अविनाश को पहले से जानने का कथन किया है । मौके पर बरामद शराब में से गवाह ने सैम्पल लेकर सील मोहर करना एवं शेष शराब व अन्य सामान को भी कट्टे में डालकर सील मोहर करना बताया है एवं मुलजिम महेन्द्र को गिरफ्तार करना बताया है । आगे गवाह ने फर्द जब्ती शराब व अन्य सामान प्रदर्श पी–1, नक्शा बरामदगी स्थल प्रदर्श पी–2, नमूना लैबल प्रदर्श पी–3 व फर्द गिरफ्तार अभियुक्त महेन्द्र प्रदर्श पी–5 पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताए हैं एवं यह भी कथन किया है कि 45 पव्वे सादा देशी शराब व एक बोतल स्प्रिट सीलशुदा हालत में उसने एफ एस एल में जमा करवाई जिसकी रसीद प्रदर्श पी 11 है एवं गवाह ने मुलजिमों को शक्ल से भी पहचानना बताया है। इस गवाह ने जिरह में जाहिर किया कि मकान का दरवाजा बन्द था। मकान के बाहर अन्धेरा था। गवाह ने गाडिया 20 फुट दूर एक जगह ही रोकी थी। भागने वालें किस दिशा में भाग कर गये गवाह को पता नहीं है। भागने वालों का पीछा जाब्ते के सभी सिपाहियों ने किया था जो करीब 200 मीटर तक पीछा किया। गवाह के मौके पर पहुंचने के करीब 5–7 मिनट बाद हो हल्ला सुनकर पडौसी आ गये थे। जिस जरीकन में बरामद स्प्रिट डाली थी वो जरिकेन सी आई साहब के पास था व बोतल भी उनके पास ही थी। यह बात सही है

कि घटना वाले दिन से पहले अविनाश के कोई मुकदमा नहीं था। गवाह की अविनाश से कब जान पहचान हुई गवाह आज नहीं बता सकता। जो पव्वे गवाह ने बरामद किये उनमे ढोला मारू के 20 पव्वे जब्त किये थे। गवाह 45 पव्वे व एक बोतल स्प्रिट एफ एस एल लेकर गया था। यह बात सही है कि आज वजह सबुत गवाह के सामने नहीं है।

गवाह पी.ड.5 अमरजीत सिंह ने साक्ष्य दी है कि दिनांक 28.04.2009 को वह आबकारी निरीक्षक वृत्त सीकर में तैनात था, उस रात करीब 1 ए०एम० पर उसे जिला आबकारी अधिकारी, सीकर से महेन्द्र व अविनाश जाट दोनों ही निवासी ढाणी तन पलासिया के कब्जेशुदा मकान की तलाशी का सर्च वारण्ट प्राप्त हुआ, जिस पर उसने उसी रात मय जाब्ता वारण्ट की पालना में पलासिया के तन में स्थित ढाणी कब्जा महेन्द्र व अविनाश पहुंचे, गाड़ियों की लाइट बंद कर जब उक्त ढाणी पहुंच कर मकान के पोल की दरवाजे की दरारों से अंदर देखा तो पोल में बल्ब की रोशनी में तीन व्यक्ति पव्वों में बाल्टी से निकाल कर तरल पदार्थ भर रहे थे, एक व्यक्ति तरल पदार्थ बाल्टी से भर रहा था, दूसरा पव्वों पर सील लगाकर मशीन से उन्हें सील कर रहा था एवं तीसरा इन भरे हुए पव्वों पर लेबल लगाकर इन्हें गत्ते के कार्टून में जचा रहा था, इस पर वह मय जाब्ता इनकों बुलन्द आवाज से दरवाजा खोलने व भागने की कोशिश नहीं करने के लिए ललकारा तो तीनों व्यक्ति मकान की बैठक वाले दरवाजे को खोलकर भागने लगे, एक व्यक्ति को जाब्ता की मदद से रोक लिया, जबकि अन्य दो निकल कर खेत में भाग गए, भागने वालों में से एक को उसने पहचान लिया जो अविनाश था, इसकी ताईद गजेन्द्र सिंह गार्ड ने भी की । हो–हल्ला सुनकर आए रतन सिंह व महेश कुमार को मौतबीर रखकर रोके गए व्यक्ति का नाम पूछा तो उसने अपना नाम महेन्द्र बताया एवं मौतबीरान् के समक्ष ढाणी की तलाशी ली तो वहां अवैध शराब बनाने का असला बरामद हुआ, मौके पर दो गत्ता कार्टूनों में 48–48 पव्वे ढोला मारू व घूमर ब्राण्ड की शराब व 15 पव्वे बिना लेबल लगे कुल चौदह हजार लेबल ढोला मारू देशी शराब एम०आई० अलवर द्वारा निर्मित अंकित मिले, 54 सौ लेबर घूंघरू देशी शराब, 2900 पीपी सील पव्वो के ढक्कन, 250 खाली कार्टून, 14 प्लास्टिक कट्टो में 1600 पव्वे कांच, 2000 पव्वे खाली पाए गए, एक प्लास्टिक थैली में भरी करीब 20 लीटर स्प्रिट देशी शराब की, गोंद की खाली बोतलें व कार्टूनों को चिपकाने की टेप बरामद हुई, इस बाबत् परमिट या लाइसेंस पूछा गया तो नहीं मिला। उक्त शराब में से नियमानुसार सैम्पल निकाला जाकर सील मोहर किया एवं शेष शराब व अन्य सामान को भी सील मोहर किया गया । फर्द जब्ती प्रदर्श पी–1

है। उसके नाम से जारी वारण्ट प्रदर्श पी–12 है, नक्शा मौका प्रदर्श पी–2, फर्द नकली लेबल प्रदर्श पी–3 है, मुलजिम महेन्द्र को मौके पर जरिये फर्द प्रदर्श पी–5 गिरफ्तार किया गया। आगे गवाह ने उपरोक्त कार्रवाई के बाद थाने आकर मुकदमा दर्ज करवाना, माल मालखाना में जमा करवाना, चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी–13 होना, प्रकरण की तफ्तीश स्वयं के जिम्मे होने पर गवाहान् के बयान लेखबद्व करना,नमूना सैम्पल एफ एस एल जाँच हेतु भिजवाना, FSL रसीद प्रदर्श पी–11 होना कथन किया है। गवाह की साक्ष्य के दौरान वजह सबूत माल में एक पव्वा सीलिंग मशीन आर्टिकल–1, एक जरीकेन आर्टिकल–2, एक कट्टा आर्टिकल–3 प्रदर्शित हुए एवं गवाह ने सीलचिट प्रदर्श पी–12, 13 एवं शराब के नकली लेबल क्रमशः प्रदर्श पी 14, 15, 16 व 17 को प्रदर्शित करवाया है। इस गवाह ने जिरह में जाहिर किया कि गवाह की तफ्तीश में तीसरा व्यक्ति कौन था नहीं आया। यह कहना सही है कि मुलजिमान की सकुनत बाबत् कोई कागजात नहीं लिये। यह कहना सही है कि मौके की जमीन के मालिकाना हक के भी गवाह ने कोई कागजात नहीं लिये। गवाह नहीं बता सकता कि मुलजिमान जमींन मालिक के यहां मजदुरी करते हो तथा नकली शराब का धंधा भु स्वामी करता हो। गवाह रतनसिंह के शराब के काफी मुकदमें हो तो गवाह को जानकारी नहीं है। गवाह नहीं बता सकता कि गवाह रतनसिंह व मौके के भु स्वामी के बीच रंजिश हो जिसके चलते रतनसिंह ने झुंठा मुकदमा बनाया हो। 111 पव्वो मे सभी मे से गवाह ने सेम्पल नहीं लिये। सिलिंग मशीन के निर्माता का नाम गवाह की जांच में आया है परन्तु उससे गवाह ने कोई तफ्तीश नहीं की। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 12 में किसी का नाम अंकित नहीं है अज खुद कहा पद अंकित है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 12 में समय अंकित नहीं है। यह कहना सही है कि गवाह ने जिला आबकारी अधिकारी द्वारा तलाशी वारंट जारी करने का कोई नोटिफिकेशन शामिल पत्रावली नहीं किया है। मौके पर गवाह रात्री तीन सवा तीन के लगभग पहुंचे थे। गवाह ने मौके से 50 मीटर पहले ही गाडियां रोक दी थी। गवाह ने घटनास्थल के फोटोग्राफ नहीं लिये थे। मौके पर अन्धेरा था। गवाह महेन्द्र को पहले से जानता था क्योंकि शराब में लिप्त लोगों की गवाह जानकारी रखता है। इस मुकदमे से पहले अविनाश के कोई मुकदमा नहीं था। अविनाश व महेन्द्र से ना तो गवाह की दोस्ती है ना ही कोई दुश्मनी है। गवाह ने मुलजिमान की शिनाख्त परेड नहीं करवाई। गवाह ने मुलजिमान का पिछा नहीं किया।

बहस पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण दो मुलजिमान क्रमशः अविनाश व महेन्द्र के विरूद्व संस्थित किया गया। चूंकि अभियुक्त अविनाश को

मौके से गिरफ्तार नहीं किया गया, कारणवश अभियुक्त अविनाश के सन्दर्भ में सर्वप्रथम विवेचन किया जा रहा है। अभियुक्त अविनाश के सन्दर्भ में प्रदर्श पी 13 व पी 1 के अनुसार अभियोजन पक्ष की यह कहानी है कि अभियुक्त अविनाश जाब्ते के अधिकारियों को देखकर मौके से भागने में सफल रहा है। जिसको गवाह पी डब्लु 4 गजेन्द्र व पी डब्लु 5 अमरजीत सिंह ने पहचाना एवं इस भागने वालें व्यक्ति की पहचान अभियुक्त अविनाश के तौर पर स्वतंत्र मौतबिरान गवाह पी डब्लु 1 व 2 ने भी की है। अभियुक्त अविनाश की पहचान के सम्बन्ध में गवाह पी डब्लु 4 ने मुख्य परीक्षण में यह अभिकथन किया कि मौके से भागने वाले व्यक्ति को गवाह ने एवं सी आई साहब (गवाह पी डब्लु 5) ने पहचाना था। उपरोक्त अभिकथनों के सम्बन्ध में इस गवाह ने जिरह मे ंयह व्यक्त किया कि यह बात सही है कि घटना वाले दिन से पहले अविनाश पर कोई मुकदमा नहीं था। गवाह की अविनाश से कब जानकारी हुई गवाह आज नहीं बता सकता। गवाह की उनके गांव में कोई रिश्तेदारी भी नहीं है। इसी क्रम में गवाह पी डब्लु 5 ने भी मुख्य परीक्षण में गवाह पी डब्लु 4 के अनुसार ही अभियुक्त अविनाश की पहचान के सम्बन्ध मे ंसाक्ष्य दी है। गवाह पी डब्लु 5 ने जिरह में इस सम्बन्ध मे ंयह व्यक्त किया कि गवाह महेन्द्र व अविनाश को पहले से जानता था क्योंकि शराब मे लिप्त लोगों की जानकारी गवाह रखता है। इस मुकदमें से पहले अविनाश के कोई मुकदमा नहीं था। अविनाश व महेन्द्र से ना तो गवाह की दोस्ती है ना ही गवाह की कोई दुश्मनी। गवाह ने मुलजिम की शिनाख्तगी परेड भी नहीं करवाई। अभियुक्त अविनाश की पहचान के सन्दर्भ में उपरोक्त साक्ष्य पर मनन किया। प्रदर्श पी 1 में अभियुक्त अविनाश की पहचान के सम्बन्ध में केवल यह इबारत अंकित है कि गवाह पी डब्लु 4 व 5 ने मौके से भागने वालें व्यक्ति की पहचान अभियुक्त अविनाश के तौर पर की। उक्त फर्द में आगे और यह कहीं अंकन नहीं है कि उपरोक्त गवाहान ने मौके से भागने वाले व्यक्ति अभियुक्त अविनाश की पहचान किस प्रकार से की एवं भागने वाले व्यक्ति की शिनाख्तगी व भौतिक रूप के सम्बन्ध में प्रदर्श पी 1 व 13 में कोई तथ्य अंकित नहीं है। अभियुक्त अविनाश की पहचान के सम्बन्ध में गवाह पी डबलु 4 ने जिरह में स्पष्ट तौर पर जाहिर किया कि घटना की दिनांक से पहले अभियुक्त अविनाश पर कोई मुकदमा नहीं था। गवाह की अभियुक्त अविनाश से जान पहचान कब हुई यह गवाह आज नहीं बता सकता। अभियोजन पक्ष एवं गवाह पी डब्लु 4 के लिये यह आवश्यक था कि वह अभियुक्त अविनाश की पहचान के सम्बन्ध में यह स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता कि इस गवाह ने मौके से भागने वालें व्यक्ति की पहचान अविनाश के तौर पर किस प्रकार

से की अथवा वह किस प्रकार से अभियुक्त अविनाश को जानता था। न्यायालय के मतानुसार अभियुक्त अविनाश की पहचान के सम्बन्ध में इस गवाह द्वारा कमजोर प्रकृति की साक्ष्य दी गई है। इसी क्रम में गवाह पी डब्लु 5 ने यह साक्ष्य दी है कि गवाह अभियुक्त अविनाश को पहले से इसलिये जानता था क्योंकि शराब में लिप्त लोगों की गवाह जानकारी रखता है। आगे इस गवाह ने जाहिर किया कि हस्तगत मुदकमे से पहले अभियुक्त अविनाश के कोई मुकदमा नहीं था। कारणवश अभियोजन पक्ष एवं यह गवाह यह स्पष्ट करने मे ंविफल रहे है कि जब अभियुक्त अविनाश पर हस्तगत प्रकरण से पहले कोई अन्य मुकदमा दर्ज नही था तो अभियुक्त अविनाश शराब में लिप्त लोगों की श्रेणी में किस प्रकार से आया। न्यायालय के मतानुसार इस गवाह ने भी अभियुक्त अविनाश की पहचान के सम्बन्ध में ठोस साक्ष्य नहीं दी है। कारणवश इस गवाह की साक्ष्य भी अभियुक्त अविनाश की पहचान के सम्बन्ध में कमजोर प्रकृति की साक्ष्य है। अभियोजन पक्ष की यह कहानी है कि गवाह पी डब्लु 4 व 5 के अलावा स्वतंत्र मौतबिरान गवाह पी डब्लु 1 व 2 ने भी मौके से भागने वाले व्यक्ति की पहचान अभियुक्त अविनाश के रूप में की थी। परन्तु उपरोक्त गवाह पी डब्लु 1 व 2 पक्षद्रोही रहे है जिन्होंने अभियेाजन कहानी की लेशमात्र भी पुष्टि नहीं की है। अभियुक्त अविनाश के सम्बन्ध मे ंअनुसंधान अधिकारी द्वारा कोई शिनाख्तगी परेड भी नहीं करवाई गई है। उपरोक्त समग्र कारणवश अभियोजन पक्ष यह प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा है कि मौके से भागने वाला व्यक्ति अभियुक्त अविनाश ही हो। अभियोजन पक्ष द्वारा घ टनास्थल/जब्ती स्थल के स्वामित्व, कब्जे व वैध स्वत्व के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। जिससे यह प्रकट हो कि घटनास्थल/जब्ती स्थल मुलजिम अविनाश के स्वामित्व अथवा कब्जे अधिकार का हो। अतः अभियुक्त अविनाश पुत्र बोदूराम जाति जाट निवासी ढाणी तन पलासियां थाना रघुनाथगढ जिला सीकर आरोपित अपराध अ0 धारा 16/54, 58 ए (ई) में दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

अब न्यायालय द्वारा अभियुक्त महेन्द्र के सन्दर्भ में विवेचन किया जा रहा है। अभियुक्त महेन्द्र को मौके से ही जरिये फर्द प्रदर्श पी 5 गिरफ्तार गया गया। अभियुक्त महेन्द्र को मौके पर ही गिरफ्तार करने के सम्बन्ध में प्रदर्श पी 1 व 5 एवं गवाह पी डब्लु 4 व 5 की साक्ष्य अखण्डित रही है। अभियोजन पक्ष की यह कहानी है कि जब्तशुदा माल को मौके पर ही नियमानुसार जब्त कर जमा मालखाना राज करवाया गया। जिसकी ताईद प्रदर्श पी 1,3,8 से होती है एवं उक्त दस्तावेजी साक्ष्य के सम्बन्ध में गवाह पी डब्लु 4,5 की साक्ष्य दौराने जिरह अखण्डित रही है। वजह सबुत माल न्यायालय में दिनांक 10.04.2019 को गवाह पी

डब्लु 5 की साक्ष्य के दौरान प्रस्तुत किया गया जिसमें 6 कटटे खाली पव्वों के है, जो खुली हुई अवस्था में है एवं एक अन्य कट्टा जिसमें देशी शराब के केवल लेबल भरे हुये है वह भी खुली अवस्था में है। उक्त वजह सबुत माल पर कोई चिट भी चस्पा नहीं है। अतः उक्त वजह सबूत माल हस्तगत प्रकरण से संबंधित हो इस तथ्य की ताईद नहीं होती हैं। कारणवश उक्त वजह सबुत माल की शिनाख्तगी अभियोजन पक्ष न्यायालय के समक्ष साबित करने में विफल रहा है। नमूना सैम्पल सी 1 से सी 5 के संबंध में प्रदर्श पी. 10 में कोई निष्कर्ष अंकित नहीं है। कारणवश उक्त वजह सबुत माल (प्रकरण में संलिप्त सम्पूर्ण वजह सबुत माल के एक भाग) के सम्बन्ध में जब्ती कार्यवाही से लेकर न्यायालय में वजह सबुत माल पेश करने तक व एफ एस एल रिपोर्ट प्राप्त होने के मध्य तक की सारवान् समपोषक कडी टुटी हुई है। कारणवश उक्त वजह सबुत माल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने से अभियोजन पक्ष को कोई बल प्राप्त नहीं होता है। परन्तु वजह सबुत माल और भी है आर्टिकल–2 एक जरिकेन जो सील्ड अवस्था में है जिसके अन्दर स्प्रिट भरी हुई है व आर्टिकल–3 एक कट्टा जो भी सील मोहर अवस्था में है जिसमें घूमर देशी शराब के नकली लेबल है। उक्त वजह सबुत माल को बाद मौके पर नियमानुसार जब्ती कार्यवाही के प्रदर्श पी 8 के अनुसार जमा मालखाना राज करवाया गया तत्पश्चात शीलशुदा नमुना सेम्पल को मय नमुना सील प्रदर्श पी 11 के एफ एस एल में जमा करवाया गया। उक्त तथ्य के सन्दर्भ में गवाह पी डब्लु 4 द्वारा दी गई साक्ष्य भी दौराने जिरह अखण्डित रही है। एफ एस एल रिपोर्ट प्रदर्श पी 10 है जिसमें आर्टिकल–2 से निकाला गया सेम्पल मार्क एस–1 (Rectified sprit) के सम्बन्ध में यह अंकन है कि This sample of R.S. on examination was found to contain 62.0 Degree over proof Ethyl Alcohol प्रदर्श पी 1 मे यह अंकित है कि मौके पर ही एक थेली में लगभग 20 लीटर स्प्रिट बरामद की गई थी जिसमें से नियमानुसार मौके पर ही नमुना सेम्पल लिया गया एवं उक्त पदार्थ की सुरक्षार्थ उक्त माल को थेली में से निकाल कर जरिकेन मे भरा गया। अन्य वजह सबूत माल आर्टिकल 01 की पहचान संबंधित साक्ष्य दौराने जिरह अखण्डित रही है। उपरोक्त साक्ष्य पर मनन किया गया जिससे यह दर्शित है कि अभियोजन पक्ष के गवाह के अभिकथनों व प्रदर्श पी.1, पी.3, पी.8, पी.10, पी.11, पी. 12–17 से अभियोजन पक्ष यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि जाब्ते के अधिकारियों द्वारा मौके पर ही उक्त बरामदशुदा माल की नियमानुसार जब्ती कार्यवाही सम्पादित करने से लेकर हस्तगत प्रकरण में एफ एस एल रिपोर्ट प्राप्त होने एवं वजह सबुत माल (केवल आर्टिकल 1, 2, 3 की हद तक) न्यायालय के

समक्ष पेश होने तक के मध्य की सभी समपोषक कडिया जुडी हुई है। उक्त कडियों के किसी भी हिस्से/भाग का अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा सारवान् रूप से खण्डन नहीं किया गया है।

दौराने बहस अधिवक्तागण अभियुक्तगण ने तर्क दिया कि मालखाना इंचार्ज को अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित नहीं करवाया गया है एवं अभियोजन पक्ष द्वारा यह नहीं बताया गया है कि नमूने को ठीक से सील किया गया था तथा उसी हालात में रसायनिक परीक्षक को भेजा गया था। उक्त तर्क के संबंध में माननीय न्यायिक 1988 आर सी सी पेज 65, 1986 क्रि0ला0रि0 (राज0) पेज 185 पेश की। उपर्युक्त तर्क के संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य पर मनन किया गया। अभियोजन पक्ष गवाहान पी.डब्ल्यू. 05 ने यह साक्ष्य दी कि जब्त शुदा माल (वजह सबूत माल व नमूना सैम्पलों) के संबंध में मौके पर ही नियमानुसार कार्यवाही सम्पादित कर सम्पूर्ण जब्त शुदा माल को जमा मालखाना राज करवाया गया। गवाह पी.डब्ल्यू. 03 ने भी यह साक्ष्य दी है कि वजह सबूत को मालखाने में जमा करवाया गया। वजह सबूत माल को मालखाना में जमा करवाने के संबंध में गवाह पी.डब्ल्यू. 03 व पी.डब्ल्यू. 05 द्वारा जाहिर किये गये उपर्युक्त अभिकथनों को दौराने जिरह अधिवक्तगण अभियुक्तगण द्वारा संदिग्ध नहीं किया गया है। एवं दौराने जिरह गवाह पी.डब्ल्यू. 04 व 05 से अधिवक्तागण अभियुक्तगण ने यह प्रश्न नहीं पूछा है कि मालखना प्रभारी कौन था ? अब दौराने बहस अंतिम मालखाना प्रभारी को परीक्षित नहीं करवाये जाने संदर्भित तर्क सारहीन है। प्रदर्श 1 व गवाह पी.डब्ल्यू 04 व पी.डब्ल्यू 05 की साक्ष्य से प्रकट है कि मौके पर ही जब्तशुदा माल को सील मोहर कर जमा मालखाना राज करवाया गया। वजह सबूत की शील्डशुदा अवस्था के संबंध में प्रदर्श पी.8 में अंकन है। गवाह पी.डब्ल्यू. 04 ने साक्ष्य दी कि इस गवाह ने एफ एस एल में शिल्डशुदा नमूना सैम्पल जमा करवाये एवं वजह सबूत माल (आर्टिकल 1, 2, 3 की हद तक) की शिनाख्तगी अभियोजन पक्ष द्वारा प्रमाणित की जा चुकी है। उक्त साक्ष्य अखण्डित रहे है। उपर्युक्त विवेचनानुसार वजह सबूत माल के संबंध में सभी कडियां जुडी हुई होना प्रमाणित है। अतः उक्त माल की शिल्डशुदा अवस्था के संबंध में न्यायालय को कोई संदेह नहीं है। प्रदर्श पी. 10 में यह अंकित है। कि – '' The Seal of the container is similar to the impression Excise Inspector-AJS has given on the Covering letter.'' उक्त Covering letter प्रदर्श पी. 11 है। जिसमें नमूना सील अंकित है। अतः उक्त माल की सील अछूती व यथावत होने के संबंध

में न्यायालय को कोई संदेह नहीं हैं। उपर्युक्त कारणवश मालखाना प्रभारी को परीक्षित नहीं करवाये जाने से भी अभियोजन कहानी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। अतः प्रकरण के तथ्य व परिस्थितियां भिन्न होने से उक्त माननीय न्यायिक नजीरें हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है।

दौराने बहस अधिवक्तागण अभियुक्तगण द्वारा सम्पूर्ण जब्ती कार्यवाही को आक्षेपित कर यह तर्क दिया कि जाब्ते के अधिकारियों द्वारा धारा 47 राजस्थान आबकारी अधिनियम का पर्चा कायम नहीं किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने से उक्त तथ्य सही प्रतीत होता है। धारा 46 राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत तलाशी व गिरफ्तारी वारंट प्राप्त कर ही जाब्ते के अधिकारियों द्वारा कार्यवाही सम्पादित की गई है। जो प्रदर्श पी. 12 है। कारणवश धारा 47 राजस्थान आबकारी अधिनियम का पर्चा जाब्ते के अधिकारियों द्वारा कायम नहीं किये जाने से भी बचाव पक्ष को कोई सहारा प्राप्त नहीं होता है।

दौराने बहस अधिवक्तागण अभियुक्तगण ने दलील दी कि गवाह पी डब्लु 4 व 5 के मध्य मौके पर ही कार्यवाही सम्पादित किये जाने के सम्बन्ध में सारवान् विरोधाभास है। उक्त दलील के सम्बन्ध में गवाह पी डब्लु 4 व 5 की साक्ष्य पर मनन किया गया। गवाह पी डब्लु 4 ने साक्ष्य दी कि उन्होंने गाडिया 20 फुट पर रोकी थी जबकि गवाह पी डब्लु 5 ने 50 मीटर दूरी का अंकन किया है। पी.डब्ल्यू. 04 के अनुसार स्वतंत्र गवाह पडोसी 5–7 मिनट बाद आ गये थे परन्तु गवाह पी डब्लु 5 के अनुसार वे व्यक्ति 10–15 मिनट बाद आये थे। रवानगी के समय में मलजिमानों का कितने व्यक्तियों द्वारा पिछा करने के संबंध में पव्वों की मात्रा में गलत मात्रा जाहिर करना, एवं प्रदर्श पी. 2 नक्शा मौका के संबंध में विरोधाभास होना। न्यायालय के मतानुसार उक्त विरोधाभास एक तुच्छ प्रकार के विरोधाभास है। कारणवश उक्त तुच्छप्रकार के विरोधाभास से सम्पूर्ण अभियोजन कहानी को ही संदेहास्पद नहीं माना जा सकता।

दौराने बहस अधिवक्तागण अभियुक्तगण ने यह भी तर्क दिया कि घ टनास्थल ने कब्जे बाबत कोई दस्तावेज अभियोजन पक्ष द्वारा पेश नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में न्यायालय का यह मत है कि अभियुक्त महेन्द्र को मौके पर ही गिरफ्तार किया गया है एवं वजह सबुत माल को भी मौके पर ही जब्त किये जाने सन्दर्भित अभियोजन कहानी उपरोक्त विवेचनानुसार प्रमाणित हुई है जिससे यह स्पष्ट है कि अभियुक्त महेन्द्र मौके पर उपस्थित था। कारणवश यह भी प्रमाणित है कि बरामदगी स्थल कमरे में मौजुद जब्तशुदा माल अभियुक्त महेन्द्र के चेतन्यशील कब्जे से बरामद किया गया। कारणवश बरामदगी स्थल के कब्जे व स्वामित्व बाबत

दस्तावेज प्रदर्शित नहीं करवाये जाने से अभियोजन पक्ष को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है।

अधिवक्ता अभियुक्तगण ने यह भी जाहिर किया है कि प्रकरण में स्वतंत्र गवाहान पक्षद्रोही घोषित हुये है। अपने पक्ष समर्थन में माननीय न्यायिक नजीर 1994 क्रि0ला0 रि0 (राज0) पेज 68 पेश की। उक्त माननीय न्यायिक नजीर में माननीय राज0 उच्च न्यायालय ने सम्मानीय मत व्यक्त किया कि पुलिस अधिकारियां की साक्ष्य केवल इस आधार पर अग्राहय नहीं की जा सकती कि वे पुलिस अधिकारी है। उक्त माननीय न्यायिक नजीर से सम्बन्धित प्रकरण मं उपर्युक्त तर्क के अलावामाननीय राज0 उच्च न्यायालय के माननीय निष्कर्षानुसार कई अन्य विसंगतियां भी है। इस सन्दर्भ में माननीय न्यायिक दृष्टांत उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अनिल सिंह ए.आई.आर. (1988) एस.सी. 1998 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि सम्पूर्ण अभियोजन कहानी/अभियोजन पक्ष को केवल इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि अभियोजन पक्ष की कहानी की पुष्टि स्वतंत्र गवाहान द्वारा नहीं की गई है। अगर प्रकरण अन्यथा रूप से सत्य व ग्राहय हो। चूंकि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किये गये गवाहान द्वारा दी गई मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य का अधिवक्तागण अभियुक्तगण सारभूत रूप से खण्डन नहीं कर पाये है जिस कारण न्यायालय को अभियोजन पक्ष की कहानी सत्य व ग्राहय स्पष्ट होती है। न्यायालय के मतानुसार हस्तगत प्रकरण में गवाह पी डब्लु 1 व 2 के पक्षद्रोही होने के अलावा अन्य कोई सारवान् विसंगति अथवा दुर्बलता नहीं है। फलतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उक्त न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धांतों को दृष्टिगत रखते हुए एवं उपर्युक्त समस्त विवेचन से अभियोजन पक्ष अपनी कहानी सन्देह से परे साबित करने में सफल होने के तथ्य को मद्देनजर रखते हुए अधिवक्तागण अभियुक्तगण का उक्त तर्क अग्राह्य किया जाता है। उपर्युक्त कारणवश अधिवक्तागण अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत माननीय न्यायिक नजीर प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों से भिन्नता के कारण चस्पा नहीं होते है।

दौराने बहस अधिवक्तागण अभियुक्तगण का यह भी तर्क रहा कि हस्तगत प्रकरण में परिवादी एवं अनुसंधान अधिकारी एक ही व्यक्ति होने से सम्पूर्ण अनुसंधान प्रकिया ही दूषित है। अपने पक्ष समर्थन में माननीय नजीर 994 क्रि0ला0रि0 (राज0) पेज 709, 1992 आर सी सी पेज 224 पेश की। मनन किया गया। गवाह पी डब्लु 5 ने साक्ष्य दी है कि हस्तगत प्रकरण में वह परिवादी है एवं वह ही अनुसंधान अधिकारी है। उक्त माननीय न्यायिक नजीरें एन डी पी एस एक्ट 1985 से सम्बन्धित है। अतः हस्तगत प्रकरण के तथ्य व परिस्थितियां एवं प्रकृति

भिन्न होने से चस्पा नहीं होते हैं। यहां यह उल्लेखनीय है मोहनलाल बनाम पंजाब राज्य (2018) 0 ए आई आर (एस सी) 3853 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि निष्पक्ष अनुसंधान व निष्पक्ष विचारण के लिये यह आवश्यक है कि परिवादी एवं अनुसंधान अधिकारी एक ही व्यक्ति ना हो। न्याय होना ही नहीं चाहिये परन्तु दिखना भी चाहिये। परन्तु वरेन्द्र कुमार बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य (2019) 0 सुप्रीम (एस सी)143 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त मोहनलाल (Supra) वाले मामलें में अभिनिर्धारित उक्त सम्माननीय निष्कर्ष को विस्तृत करते हुये एवं व्याख्या करते हुये पुनः अभिनिर्धारित किया कि दाण्डिक न्याय वितरण प्रणाली को केवल अभियुक्त के ही अनन्य लाभ हेतु प्रयोग में नहीं लिया जा सकता, जो सम्पूर्ण कार्यवाही को एक दिशात्मक कार्यवाही बना देता है। दाण्डिक न्याय वितरण प्रणाली के उचित क्रियान्वयन हेतु अभियुक्त एवं अभियोजन पक्ष दोनों के अधिकारों का संतुलन होना आवश्यक है। अतः प्रकरण के अन्य तथ्यों की अपेक्षा किये बिना केवल मोहनलाल (Supra) वाले मामलें में प्रतिपादित उक्त सिद्वान्त को ही आधार मानकर अभियुक्त को दोषमुक्त नहीं किया जा सकता। अधिवक्तागण अभियुक्तगण का उपर्युक्त तर्क प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। अतः इस सम्बन्ध में न्यायालय यह लिखना उचित समझता है कि किसी भी प्रकरण में परिवादी एवं अनुसंधान अधिकारी एक ही व्यक्ति नहीं होना चाहिये यह एक विधि का नियम/ सिद्वान्त नहीं है बल्कि यह एक सावधानी का नियम है। ऐसी परिस्थितियों में न्यायालय को उपर्युक्त गवाह की साक्ष्य पर सूक्ष्म तौर पर मनन करना होगा एवं यह भी सुनिश्चित करना होगा कि ऐसा गवाह हितबद्व तो नहीं है एवं ऐसे गवाह की साख व विश्सनीयता खण्डीत हुई अथवा नहीं। गवाह पी डब्लु 5 की साक्ष्य पर ध्यानपूर्वक किया गया। इस गवाह से दौराने जिरह अधिवक्तागण अभियुक्तगण ने ऐसा कोई प्रश्न नहीं पुछा है जिससे न्यायालय के समक्ष यह प्रकट हो कि इस गवाह द्वारा हस्तगत प्रकरण में मुलजिम को किसी रंजिशवश संलिप्त किया हो एवं एवं उक्त तथ्य के संबंध में कोई साक्ष्य सफाई भी पेश नहीं की गई है। गवाह पी.डब्ल्यू. 05 की साक्ष्य के दौरान इस गवाह की विश्वसनीयता खण्डित नहीं हो सकी है। कारणवश हस्तगत प्रकरण में गवाह पी डब्लु 5 स्वयं परिवादी एवं अनुसंधान अधिकारी होने से भी अभियोजन पक्ष पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड कर बचाव पक्ष को कोई सहारा प्राप्त नहीं होता है।

प्रकरण में वजह सबुत आर्टिकल 2 में स्प्रीट लगभग 20 लीटर है। जिसमें से ही नमुना सेम्पल एस 1 (आर एस) लिया गया है। अतः उक्त सेम्पल उक्त 20 लीटर स्प्रीट (लगभग) का प्रतिनिधित्व करता है। उक्त मात्र राज0

आबकारी अधिनियम के अधीन निषिद्व की श्रेणी में आती है। अतः अधिवक्तागण अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत माननीय न्यायिक नजीर 2017(3) सी जे (क्रि0) (राज0) पेज 1708 के तथ्य व परिस्थितियां हस्तगत प्रकरण से भिन्न होने से चस्पा नहीं होते हैं ।

दौराने बहस अधिवक्तागण अभियुक्तगण द्वारा यह दलील भी दी गई है कि अभियोजन पक्ष द्वारा जाब्ते के अधिकारियों का घटना के दिन का मुवमेन्ट रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे मौका कार्यवाही संदिग्ध है। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि उक्त दलील अनुसार मुवमेन्ट रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया है। परन्तु जब्ती कार्यवाही धारा 46 राज0 आबकारी अधिनियम के तहत सर्च वारंट/तलाशी वारंट (प्रदर्श पी 12) प्राप्त करने के पश्चात की गई है। अतः ऐसी परिस्थिति मे पृथक से मुवमेंन्टर रजिस्टर प्रदर्शित/प्रस्तुत नहीं करवाये जाने से भी अभियोजन पक्ष पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। अतः उक्त दलील बलहीन है।

उपरोक्त विवेचनानुसार अभियोजन पक्ष यह प्रमाणित करने में पूर्णतः सफल रहा है कि दिनांक 18.04.09 को समय 3.15 ए एम पर पलासियां की ढाणी पर अभियुक्त महेन्द्र के चेतन्य कब्जे के मकान/कमरे मे से एक कट्टा (आर्टिकल 3) जिसमें देशी शराब के लेबल भरे हुये है व एक जरिकेन (आर्टिकल–2) जिसमें लगभग 20 लीटर स्प्रिट भरी हुई है एवं एक पव्वा सिलिंग मशीन (आर्टिकल–1) बिना किसी वैध लाइसेंस या परमिट के बरामद किए गए।

–:: <u>आ दे श</u> ::–

परिणामतः अभियुक्त महेन्द्र पुत्र हरफुल सिंह जाति जाट निवासी ढाणी तन पलासियां थाना रघुनाथगढ जिला सीकर को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा–16/54 व 58 ए (ई) राजस्थान आबकारी अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है।

(प्रशान्त पूनिया)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम–1,
सीकर (राज.)

–:: <u>सजा के बिन्दु पर सुना गया</u> ::–

अधिवक्ता अभियुक्त महेन्द्र का तर्क है कि अभियुक्त महेन्द्र का यह प्रथम अपराध है। लम्बे समय से अन्वीक्षा की त्रासदी भुगत रहा है, अतः उसके प्रति नरमी का रूख अपनाया जाकर उसे परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जावे। जबकि इसके विपरीत सहायक अभियोजन अधिकारी ने इसका विरोध करते हुये अभियुक्त को कारावासीय दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया है।

उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अभियुक्त से अत्यधिक मात्रा (लगभग 20 लीटर) हथकड शराब(स्प्रीट) व नकली शराब बनाने के कूटकृत उपकरण व लेबल बरामद किये गये है अतः जब्तशुदा माल की मात्रा व प्रकृति एवं प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अभियुक्तगण महेन्द्र को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

–:: दण्डादेश ::–

परिणमतः अभियुक्त अविनाश पुत्र बोदूराम जाति जाट निवासी ढाणी तन पलासियां थाना रघुनाथगढ जिला सीकर को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा–16/54 व 58 ए(ई) राजस्थान आबकारी अधिनियम के अपराध के लिये दोषमुक्त किया जाता है एवं अभियुक्त महेन्द्र पुत्र हरफुल सिंह जाति जाट निवासी ढाणी तन पलासियां थाना रघुनाथगढ जिला सीकर को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 16/54 व 58 ए (ई) राजस्थान आबकारी अधिनियम के अपराध के लिये दोषसिद्व किया जाकर धारा 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के लिये दो वर्ष के साधारण कारावास एवं बीस हजार के अर्थदण्ड से एवं अदम अदायगी अर्थदण्ड दो माह के अतिरिक्त साधारण कारावास से एवं धारा 58 ए (ई) राजस्थान आबकारी अधिनियम के लिये एक वर्ष के साधारण कारावास एवं दस हजार रूपये के अर्थदण्ड से एवं अदम अदायगी अर्थदण्ड एक माह के अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किया जाता है। सभी मूल सजाये साथ साथ चलेगी। प्रकरण में अभियुक्त महेन्द्र द्वारा पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि को दी गई सजा में समायोजित किया जावे। सजा वारंट बनाया जावें। अभियुक्तगण के पूर्व में न्यायालय में हाजरी बाबत दिये गये जमानत मुचलके एतद् द्वारा निरस्त किये जाते है।

प्रकरण में जब्तशुदा शराब व अन्य सम्पूर्ण सामग्री को बाद गुजरने मियाद अपील, अपील नहीं होने की सुरत में नियमानुसार नष्ट किए जाने बाबत् संबंधित थानाधिकारी को तहरीर जारी हो। निर्णय की एक प्रति निःशुल्क अभियुक्त महेन्द्र को दी जावे।

(प्रशान्त पूनिया)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम–1,
सीकर (राज.)

निर्णय आज दिनांक 20.05.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रशान्त पूनिया)

न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम—1,
सीकर (राज.)